

FORM NO. III

फर्द अहकाम

2023

395

उप खण्ड अधिकारी (नियम-26)

(S.D.O.) बालोतरा

अज अदालत

बमुकाम

रामा राम

बनाम

चौधराराम

किस्म मुकदमा

2513F RTA

नं.

242

मन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10-8-23	<p>प्रार्थी/प्रार्थीगण के वकील श्री <u>सबाइ सिपाजा</u> ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/विप्रार्थीगण को नोटिस/समन की प्रति जरिये रजिस्टर्ड ए.डी के जारी हो। तहसीलदार/मू अमिलेख बिसेसक <u>पंचपट्ट</u> से मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते तामिल एवम मौका रिपोर्ट के इंतजार में दिनांक <u>22-9-23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा</p>	
22/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील अनुपस्थित विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस तामिल अथवा अहम तामिल के प्राप्त नहीं हुए आपन्दा इन्तजार हेतु दिनांक 13/10/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा</p>	
13-10-23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सं. 1, 2 व 4 मय प्रदिवक्ता उपस्थित ने प्रार्थना पत्र वास्ते बिटों रुके पेश किए जो शा. सिं हो बिटार्थी सं. 1, 4, 5 की ओर से वकील श्री पुनमाराम चैधर</p> <p style="text-align: right;">--- लगवार --- उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा</p>	<p style="text-align: right;">श्री मुनाराम</p> <p style="text-align: right;">बालोतरा</p>

... ने वकालतनामा पेश किया जो
 शामिल मिलता है। प्राचीन कमील
 ने कथन किया कि प्राचीन जर्नाल पर
 मे जजों को जमानत की सहायता नहीं
 चाहते हैं तथा न ही हम प्राचीन को
 प्राचीन क्षेत्र में के रास्ते से आगम्य
 है। अतः प्राचीन जज से जस्टिफिकेशन
 रजिस्ट्रार करवाया जाने का निवेदन किया
 गया। उपस्थित बकील सचिवारी लं. 1, 4, 5
 ने निवेदन किया कि प्राचीन जज नल्ल
 स्तर पर ही विचारयोग्य है, प्राचीन को
 अपना प्राचीन जज क्यों करा है तो
 हमें आपत्ती नहीं है। हमने जमानत को
 जमानत जमानत का भवलोक्त किया -
 प्राचीन 1, 2, 4 स्वयं उपस्थित प्राचीन लं. 3 की
 मोर के बकील प्राचीन हाथ बड़े किया
 गया। प्राचीन प्राचीन जज को प्राचीन
 जज में सहायता नहीं चाहते हैं लेकी
 एकर से प्राचीन जज जमानत पर इतनी
 स्टेड पर जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार किया
 जाया है।

प्राचीन जज
 के बकील जमानत
 प्राचीन को नहीं
 चाहते हैं।

पत्रावली फौजदारी जमानत लेकर जमानत
 को एक कम लेकर लेब मंजूर हो

उप खण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा